न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान) केम्प कोर्ट, शिवतलाव

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 5/2021 GCMS NO 2021/42

दायरा तिथि : 03.03.2021

आदेश तिथि : 8-10-2021

प्रार्थी:–

अमृतसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित कराने

आदेश

दिनांक : 8-10-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर की धारित सह खातेदारी भूमि मौजा ग्राम शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर960, 963, 971, 972, 973, 975, 976 कुल रकबा 7.11 हैक्टर में निहित अपने 1/21 हिस्सा की सिंचाई के लिये खसरा नंबर 737 में खोदे गये कुएँ से खसरा नंबर 960 की सीमा तक राजकीय भूमि खसरा नंबर 738, 814 मेंसे ढाई फीट गहरी एवं 2 फीट चौडाई में भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करवाये जाने की अनुति बाबत् निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/**636 दिनांक 06.04.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार** :–

1.प्रार्थी, आवेदक श्री अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव की संयुक्त खातेदारी भूमि में जहॉ पानी की भूमिगत पाईपलाईन ले जाई जायेगी, वहॉ पर वर्तमान में सिंचाई का कोई अन्य विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि खसरा नंबर 737 में खोदे हुये बेरे से सर्वप्रथम भूमिगत् पाईप लाईन खसरा नंबर 739 किस्म गै.मु. वाला की भूकम मेंसे निकाली जावेगी, जो लम्बाई में 300 मीटर एवं चौडाई में 0.61 मीटर में निकाली जायेगी, फिर आगे खसरा नंबर 814 व 815 की सरकारी भूमि मेंसे निकाली जावेगी।

3 यह कि जिन खसरो से भूमिगत् पाईप लाईन डाली जाना प्रस्तावित हैं, उनका खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	पाईप लाईन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	739	11.32	गैमु. वाला	300X 0.61=183 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
2	814	0.23	गै.मु. रास्ता	366X 0.61 =223 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
3	815	2.23	गै.मु. वाला	280X 0.61 =171 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
				577 वर्गमीटर	

4.. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम शिवतलाव की डी.एल.सी. दर 22723/–रूपये प्रति बीघा हैं। तथा खसरा नंबर 815 किस्म गै.मु. वाला प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से पाईप लाईन निकलेगी।

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 5/2021 GCMS NO 2021/42
अनवान अमृतसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प कोर्ट, शिवतलाव में प्रार्थी के उपरिथत होने पर सुनवाई पर ली गई। प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अनुमति दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजरथान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा ग्राम शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 960, 963, 971, 972, 973, 975, 976 कुल रकबा 7.11 हैक्टर में निहित प्रार्थी के 1/21 हिस्सा की सिंचाई के लिये खसरा नंबर 737 में खोदे गये कुएँ से खसरा नंबर 960 की सीमा तक राजकीय भूमि खसरा नंबर 738, 814 मेंसे ढाई फीट गहरी एवं 2 फीट चौडाई में भूमिगत पाईप लाईन नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप** भूमिगत पाईप लाईन स्थापित करवाये जाने की अनुति प्रदान की जाती है।

आदेश की पालना में भूमिगत् पाईप लाईन बिछाने से से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	पाईप लाईन के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 22723/– प्रति बीघा की दर की 1/10 हिस्सा राशि	नाम खातेदार
739	11.32	300X 0.61=183 वर्गमीटर	14.20	252	राजकीय सिवाय चक भूमि
814	0.23	366X0.61 =223 वर्गमीटर	14.20	317	राजकीय सिवाय चक भूमि
815	2.23	280X0.61 =171 वर्गमीटर	14.20	243	राजकीय सिवाय चक भूमि

पाईप लाईन के लिये प्रभावित क्षैत्रफल 577 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर के 1/10 हिस्सा अनुसार कुल देय प्रति राशि 812/–अक्षरे आठ सौ बारह रूपये मात्र आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राजकोष में सबंधित मद में जमा करवाई जावेगी।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
केम्प– शिवतलाव

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2021/ 20228–2032 दिनांक : 14.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, वाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, शिवतलाव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अमृतसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तह. बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
केम्प–शिवतलाव

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner